नगर परिषद मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2010 से 03/2013

भाग एक

1 (क) प्रारम्भिकः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्न पदाधिकारी कार्यरत्त रहेः—

प्रधान :—

क्रमांक	अवधि	नाम
1	1.4.2010 से 20.1.2011	श्री हेमन्त राज वैद्य
2	21.1.2011 से 31.3.2013	श्रीमती सुशीला सौखंला

कार्यकारी अधिकारीः—

क्र0सं0	अवधि	कार्यकारी अधिकारी का नाम
1	1.4.10 से 12.4.2011	श्री पी0सी0 शर्मा
2	26.4.2010 से 05.04.2011	श्रीमती उर्वशी वालिया (अतिरिक्त कार्यभार)
3	06.04.2011 से 29.4.2011	श्री गोकल चन्द शर्मा (—यथोपरि—)
4	03.5.2011 से 15.6.2011	श्री प्रकाश चन्द आजाद (—यथोपरि—

5	16.6.2011 से 16.2.2013	श्रीमती उर्वशी वालिया
6	02.3.2013 से 19.3.2013	श्री संजय कुमार (अतिरिक्त कार्यभार)
7	20.3.2013 से 31.3.2013	श्री के0आर0 ठाकुर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि ₹लाखों में**
1	संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय	4	379.31
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली शेष	7	246.68
3	गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण वित्तीय हानि	7 (क)	45
4	दिनांक 31.3.2013 को दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु शेष	8	31
5	दुकानों के किराये इकरारनामों की शर्तों के अनुसार वसूली न करने के कारण परिषद को वित्तीय हानि	8 (क)	15
6	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली न करना	10	9
7	व्यवसायिक कर की बकाया राशि की वसूली न करना	9	1.35
8	सिनेमा घरों से फिल्म प्रदर्शन शुल्क की वसूली न करना	11	1.67
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान	(13 क, 14क, 14ख, ग, घ, 15)	2.23

10	पैन्शन की राशि का अधिक भुगतान	16	0.06
11	सी0पी0एफ0 से अग्रिम राशि की वसूली न करना	17	.20
12	निमार्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	21	80.33
13	अनुदान राशियों का अनियमित भुगतान	21 (क)	200.00
14	निमार्ण कार्य पर संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	22 (क से घ)	.61

(ग) **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "I" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :–**

नगर परिषद मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/10 से 3/13 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री तारा चन्द महन्त, (सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा) तथा श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 20.6.2013 से 19.10.2013 तक के दौरान नगर परिषद मण्डी में किया गया। आय के लिए माह 12/10, 7/11, व 9/12 तथा व्यय के लिए माह 5/10, 10/11 व 9/12 के लेखाओं की विस्तार से जाँच पड़ताल की गई।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किए गए हैं। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना

प्रदान न करने पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व जाँच हेतू उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

(क) वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अपने स्त्रोतों से आय	ब्याज	अनुदान से प्राप्त राशि	कुल जमा राशि	व्यय	अन्तशेष
2010–2011	29554506.62	14039415	996774	39051347	83642042.62	60242371	23399671.62
2011–2012	23399671.62	17574243.60	934468	40841878	82750261.22	56291332	26458929.22
2012–2013	26458929.22	24494087	916918	37319400	89189334.22	74100789	15088545.22

दिनांक 31.3.2013 को अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

31.3.2013 को रोकड़ वही का अन्तशेष	15088545.22
31.3.2013 को विभिन्न बैंकों का अन्तशेष	15030121.22
अन्तर राशि	58424.00
देरी से जमा राशि (आय)	58424.00

दिनांक 31.3.2013 को देरी से जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चैक नं0	राशि
1	532171	4456
2	050080	12358
3	050081	3410
4	862588	4850
5	862589	4850
6	615350	10000

7	121181	9250
8	121182	9250
		58424

नगर परिषद के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2013 को अन्तशेष निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**राशि (₹)**
1	ट्रेजरी में अन्तशेष	–	830539.00
2	भारतीय स्टेट बैंक में शेष	30234705751	2153874.50
3	पंजाब नैंशनल बैंक में शेष	0104142254	521737.65
4	पंजाब नैंशनल बैंक में शेष	0104231585	386666.00
5	पंजाब नैंशनल बैंक में अन्तशेष	01000932989	358003.00
6	कैनरा बैंक में अन्तशेष	0266	13347.80
7	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	3170106022	1825661.00
8	–यथोपरि–	3170118313	1188823.00
9	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	3170117072	802778.00
10	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	31710122877	115623.00
11	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55079131025	2417682.10
12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55079130804	1531771.67
13	बैंक ऑफ इण्डिया	6102	106599.50
14	आई0डी0बी0आई0 बैंक में शेष	4000001281	1445664.00
15	यूको बैंक में शेष	110008409	84065.00
16	इण्डियन बैंक में शेष	897425239	1237892.00
17	अरबन बैंक में शेष	2794	2394.00
18	श्री विक्रम जीत लिपिक के पास अग्रिम	–	7000.00
		जोड़ कुल राशि	**₹15030121.22**

(ख) अनुदानों की वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। नगर परिषद मण्डी को विभिन्न संस्थाओं, सरकार, शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदान का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (II) में दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अनुदान से प्राप्त राशि	कुल जमा राशि	व्यय	अन्त राशि (₹)
2010–2011	8631618	39051347	47682965	41136895	6546070
2011–2012	6546070	40841878	47387948	37631878	9756070
2012–2013	9756070	37319400	47075470	36114668	10960802

(ग) निवेशः–

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 के दौरान दिनांक 31.3.2013 तक नगर परिषद मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया गया है।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

नगर परिषद मण्डी के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2013 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹92,000/– बनता हैं। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी को सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः ए0सी0 ऑडिट कैम्प मण्डी–278, दिनांक 17.10.2013 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजनें का अनुरोध किया गया।

4 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹379.31 लाख का अधिक व्ययः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनीसिपल एक्ट 1994 के नियम 53 (1) में दिये गये दिशा निर्देशो तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए) 1/87/9237–84

दिनांक 20.6.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित (restrict) किया गया था परन्तु नगर परिषद मण्डी द्वारा उपरोक्त व्यय को निर्धारित सीमा से निम्नानुसार ₹379.31 लाख अधिक व्यय किया गया है।

वर्ष	**कुल व्यय**	**अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय**	**वास्तविक स्थापना व्यय**	**निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि**
2010–11	602.42 लाख	200.80	266.12	65.32
2011–12	562.91	187.63	382.32	194.69
2012–13	741.00	247.00	366.30	119.30
	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि			379.31

अतः अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 **सरकारी अनुदानः–**

₹10960802.00 अनुदानों की राशि का उपयोग न करनाः–

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹10960802.00 दिनांक 31.3.2013 को अनुपयुक्त पड़ी थी जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (III) में दर्शाया गया है। उपरोक्त परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु गत वर्षों से प्राप्त की गई अनुदान राशियों का उपयोग नगर परिषद द्वारा 31.3.2013 तक नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः अनुदान पत्रों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्त शेष राशि को शीध्र ही सरकार को वापिस भेजा जाये अन्यथा उनका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योत्तर एवं समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त जाना सुनिश्चित करें।

6 **₹539.00 प्राप्त आय को जमा न करनाः–**

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के चयनित मासों की रसीदों से प्राप्त आय की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ वही

में दर्ज नहीं किया गया परिणामस्वरूप परिषद निधि में जमा नहीं किया गया यह अनियमित है जिसे अब अभिलम्ब परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	माह/वर्ष	दिनांक	रसीद सं0	दर्ज करने योग्य राशि	दर्ज राशि	अन्तर/कम दर्ज राशि
1	7/2011	13.7.2011	37421/375 से 37436/375	13366	13346	20
2	9/2012	6.9.2012	48055/481	50	–	50
3	9/2012	7.9.2012	48133 से 48137 48156, 48161 से 48163/482 तथा 47369/479	25900	25841	59
4	9/2012	26.9.2012	672/497 से 680/497	410	–	410
					कुल योग राशि	**₹539**

(क) तहबाजारी से प्राप्त राशि ₹265.00 को रोकड़ वही में दर्ज न करनाः–

अवधि 4/10 से 3/13 तक के तहबाजारी अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ₹265.00 को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (iv) में दिया गया है जिसे रोकड़ वही में तुरन्त दर्ज करके परिषद कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें, तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठायें। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

(ख) स्लाटर हाऊस से ₹120.00 की कम वसूलीः–

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक स्लाटर हाऊस से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹120.00 राशि की विभिन्न मीट विक्रेताओं से

कम वसूली की गई इसका औचित्य स्पष्ट करें, तथा इस राशि को उचित स्त्रोत से तुरन्त वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	कूपन सं0	दिनांक	नाम	विवरण	राशि जो वसूल की गई	राशि जो वसूल की जानी थी	अन्तर राशि (₹)
1	3359 / 34	2.12.2010	प्रेम सिंह	बकरी 3 नग	40 (बकरी 2 नग)	20X3=60	20
2	3439 / 35 तथा 3443 / 35	22.12.2010	विजय कुमार	बकरी 2 नग सुअर 1 नग	20X2=40	20X3=60	20
3	4533 / 46	31.7.2011	इन्द्रदेव	बकरी 2 नग	20X1=20	20X2=40	20
4	रजिस्टर पेज नं0 39	31.7.2011	काकू	बकरा नग (2)	—	20X2=40	40
5	रजिस्टर पेज नं0 49	1.8.2011	राकेश कुमार	बकरी 1 नग	—	20X1=20	20
						कुल राशि	**₹120**

(ग) <u>नगर परिषद द्वारा विवाह प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण शुल्क की राशि ₹430/— की वसूली न करनाः—</u>

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक विवाह प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पंजीकरण शुल्क ₹430.00 की वसूली नहीं की गई है। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (V) में दिया गया है। परिषद द्वारा पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने

का औचित्य स्पष्ट करें, इस राशि की पूर्ण वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें, तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(घ) भवन निर्माण शुल्क की राशि ₹282/– की कम वसूली करनाः–

भवन निर्माण शुल्क के अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार भवन निर्माण शुल्क के रूप में ₹282/– की भवन मालिकों से निर्धारित दर से कम दर वसूल की गई थी जिसे अब वसूल कर परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	नाम	भवन आवासीय/ व्यवसायिक	भवन का क्षेत्रफल	भवन निर्माण शुल्क जो परिषद ने वसूल किया	वास्तव में जो शुल्क लिया जाना था	अन्तर राशि (₹)
1	प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री राम चंद मण्डी	आवासीय	189.75m3	192	189.75X2.50=474.00	282
					राशि	**₹282**

(ङ) नगर परिषद मण्डी द्वारा रसीदों को रदद करने पर कार्यकारी अधिकारी से सत्यापित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक रोकड़ वही में दर्ज आय की रसीदों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा रसीदों को रदद किया गया। इन रसीदों को रदद करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया और न ही इन रसीदों को रदद करने के उपरान्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया। इसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इन रसीदों को कार्यकारी अधिकारी से सत्यापित करवाये। भविष्य में रसीद रदद होने के कारण व सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	माह / वर्ष	दिनांक	रसीद नं0	रसीद विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	10 / 2010	–	31237 / 313	दर्शाया नहीं गया	–	रदद की गई रसीद कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई
2	12 / 2010	–	32456 / 325	कांपिंग फीस	300	–यथोपरि–
3	1 / 2011	29.1.2011	33042 / 331	अनुदान राशि	1100000	–यथोपरि–
4	6 / 2011	2.6.2011	35942 / 360	किराया	936	–यथोपरि–
5	6 / 2011	2.6.2011	35943 / 360	किराया	1200	–यथोपरि–
6	–	–	35944 / 360	–	–	–यथोपरि–
7	7 / 2011	26.7.2011	37155 / 372	गृहकर	6113	–यथोपरि–
8	7 / 2011	13.7.2011	37440 / 375	गृहकर	2621	–यथोपरि–
9	8 / 2011	–	37911 / 380	गृहकर	3757	–यथोपरि–
10	9 / 2011	26.9.2011	37955 / 380	गृहकर	38556	–यथोपरि–
11	10 / 2011	17.10.2011	30576 / 306	गृहकर	3396	–यथोपरि–
12	1 / 2012	13.1.2012	42037 / 421	मानदेय सम्बन्धी	900	–यथोपरि–
13	7 / 2012	2.7.2012	46011 / 461	विज्ञापन शुल्क	2000	–यथोपरि–
14	7 / 2012	5.7.2012	46016 / 461	सूचना का अधिकारी	6	–यथोपरि–
15	–	–	44866 / 449	–	–	–यथोपरि–
16	–	–	35610 / 357	–	–	–यथोपरि–
17	9 / 2012	1.9.2012	46661 / 467	गृहकर	2735	–यथोपरि–
18	9 / 2012	10.9.2012	48166 / 482	गृहकर	4735	–यथोपरि–
19	9 / 2012	20.9.2012	48855 / 489	गृहकर	10809	–यथोपरि–
20	10 / 2012	26.10.2012	50640 / 507	टाऊन प्लाईनिंग फीस	570	–यथोपरि–
21	12 / 2012	–	47384 / 474	अग्रिम भुगतान	400	–यथोपरि–

(च) अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 8/2010 तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की रसीदें उपलब्ध न करवानाः—

अवधि 4/2010 से 8/2010 तक परिषद के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच पड़ताल रोकड़ वही में दर्ज आय की रसीदों से नहीं की जा सकी, क्योंकि इस अवधि का पूरा रिकार्ड नगर परिषद द्वारा उप–पुलिस अधीक्षक, रा0स0 एवम भृष्टाचार रो0 ब्यूरो (विजीलैन्स) मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को आवश्यक जॉच हेतु भिजवाया गया है। अतः इस अवधि से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 गृहकर की बकाया राशि ₹2.46 करोड़ की वसूली शेषः—

दिनांक 31.3.2013 तक गृहकरदाताओं से ₹24668407/— की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट (vi) में दिया गया है। नगर परिषद मण्डी द्वारा गृहकर की बकाया राशि ₹24668407/— की वसूली करने के लिए कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है। गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि परिषद के विकास कार्य को सुचारू रूप से किए जा सके।

(क) गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण परिषद को ₹4599810/— की वित्तीय हानिः—

नगर परिषद मण्डी द्वारा अपने सीमा क्षेत्र से गृहकर की वर्ष 2010—2011 से 2012—2013 तक 10% की दर से वसूली की जा रही थी जबकि सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)—2/2002 दिनांक 24.9.2003 द्वारा नगर परिषद से 12.5% की दर से गृहकर लिया जाना निर्धारित किया था लेकिन नगर परिषद मण्डी द्वारा 10% की दर से गृहकर लिया गया था जिस कारण नगर परिषद को गृहकर के रूप में परिषद को ₹4599810/— की वित्तीय हानि हुई है। इस राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट (vii) में दिया

गया है। अतः नगर परिषद सरकार द्वारा निर्धारित गृहकर की दर से गृहकर का अधिरोपण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सरकारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण के अवगत करवाया जाए।

8 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹31.76 लाख की वसूली शेषः–

रैन्ट मांग व संग्रह रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2013 को दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹3176386/–की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (viii) में दर्शाया गया है। परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि की नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(क) दुकानों के किराये इकरारनामों की शर्तों के अनुरूप बढ़ौतरी न करने के कारण परिषद को ₹15.10 लाख की वित्तीय हानिः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान किराया मांग व संग्रह रजिस्टर व दुकानों के किराये के इकरारनामों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा शंकन गार्डन स्थित दुकानों के किराये में इकरारनामों की शर्तों के अनुसार बढ़ौतरी न करने के फलस्वरूप ₹1510740/– की कम वसूली की गई। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ix) में दिया गया है। दुकानों के किराये में इकरारमानों की शर्तों के अनुसार बढ़ौतरी न करने का औचित्य स्पष्ट करें। अतः ऐसे सभी मामलों में इकरारनामों की शर्तों के अनुसार किराया वसूली सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 व्यवसायिक कर की बकाया राशि ₹1.35 लाख की वसूली शेषः–

व्यवसायिक कर से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद मण्डी द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक व्यवसायिक कर की बकाया राशि ₹134530/– की वसूली

करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (x) में दर्शाया गया है। व्यवसायिक कर की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 **मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹8.90 लाख की वसूली न करनाः—**

मोबाईल टावरों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गये है जिनका ब्यौरा परिशिष्ट (ix) में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV(IT) 2005(MISC) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की बकाया राशि ₹890000.00 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 **सिनेमा व वीडियों घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Show Tax) से बकाया राशि ₹1.67 लाख की वसूली शेषः—**

सिनेमा कर के मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2013 को ₹167800/— बतौर प्रदर्शन कर की वसूली करनी शेष है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (xii) में दिया गया है। नगर परिषद मण्डी द्वारा वर्ष 2012—2013 में विभिन्न सिनेमा घरों व वीडियों घरों से प्रदर्शन टैक्स के रूप में नियमानुसार कोई भी राशि की वसूली नहीं की है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवही अमल में लाई जाये।

12 **नगर परिषद द्वारा आय की रसीदों को रोकड़ वही में दर्ज न करने बारेः—**

रोकड़ वही की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिषद द्वारा आय की रसीदों को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया। नगर पालिका लेखा संहिता 1975 की धारा 19 (i) के अनुसार आय की रसीदों से प्राप्त राशि को रोकड़ वही (फार्म जी—2)

कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव के पर्यवेक्षण में सीधे लेखाकिंत किया जाना अपेक्षित है। रोकड वही में इन रसीदों को दर्ज न करने के बारे में अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि इन रसीदों को आवश्यक जॉच हेतु उप–पुलिस अधीक्षक, रा0स0 एवम भृष्टाचार रो0 ब्यूरो (विजिलैन्स) मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश भिजवाया गया है। अतः रोकड़ वही में इन रसीदों को दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करें, तथा इन रसीदों को रोकड़ वही में दर्ज करके प्राप्त राशि को परिषद कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ वही में दर्ज न होने वाली रसीदों का विवरण
1	8.4.2010	27301 से 27309 / 274
2	8.4.2010	27321 / 274
3	8.4.2010	27325 / 274
4	30.4.2010	27356 से 273377 / 274
5	30.4.2010	27379 से 27400 / 274
6	30.4.2010	27401 से 27419 / 275
7	30.4.2010	27435 / 275
8	6.7.2010	27511 से 27563 / 276
9	6.7.2010	27565 से 27581 / 276
10	6.7.2010	27584 से 27597 / 276
11	6.7.2010	27599 / 276
12	6.7.2010	27626 से 27695 / 277
13	6.7.2010	27699 / 277
14	6.8.2010	28028 से 28039 / 281
15	6.8.2010	28041 से 28052 / 281
16	6.8.2010	28053 से 28095 / 281
17	6.8.2010	28097 / 281
18	6.8.2010	28100 / 281

13 **(क) सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत श्रीमती लीला देवी सफाई कर्मचारी को ₹16562/–का अनुचित भुगतानः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन विभाग) के पत्र संख्या फिन–(पी0आर0) बी (7)–1/98 दिनांक 31.8.2009 के पैरा संख्या 4 में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत श्रीमती लीला देवी सफाई कर्मचारी जिन्होंनें दिनांक 27.8.1993 को सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण किया है, संशोधित वेतनमानों में दिनांक 1.8.2009 को (16 वर्षों का सेवाकाल जो 27.8.2009 को होना था) सुनिश्चित जीविका प्रगितिशील योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का निम्नानुसार लाभ प्रदान किया गया जो उपरोक्त पत्र के पैरा 4 में दिये गये दिशा निर्देशों के फलस्वरूप संशोधित वेतनमानों में दिनांक 27.8.2009 से भी देय नहीं था। अतः उक्त कर्मचारी को ₹16562/– का अनुचित भुगतान किया गया विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (xiii) में दिया गया है जिस बारे पुनः जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किये गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) श्रीमती भीखा देवी सेवादार के नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत 4–9–14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने उपरान्त ₹3387 का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन अनुभाग) पत्र संख्या फिन(पीआर)बी(7)–59/2010 दिनांक 09.8.2012 के अन्तर्गत दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप श्रीमती भीखी देवी सेवादार का वेतन निर्धारण 24 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने व पूर्ण संशोधित वेतन में एक उच्च ग्रेड तथा तीन वेतन वृद्धि प्राप्त करने के उपरान्त नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत एक ही पद पर रहने के फलस्वरूप निम्नानुसार दो उच्च ग्रेड प्रदान करने पर वेतन निर्धारित किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक 26.8.2009 को वेतन 9730+340+1400	11470
दिनांक 27.8.09 को दो उच्च ग्रेड बिना वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त वेतन	10070+1650–1st Higher Grade Pay
	10070+1900–IInd Higher Grade Pay

अतः 27.8.2009 को देय वेतन 10070+1900 अगली वेतन वृद्धि 1.1.10

	देय वेतन	आहरित वेतन
1.1.10	10070+360+1900=12330	
1.1.11	10430+370+1900=12700	
1.1.12	10800+390+1900=13090	
1.8.12	11190+400+1900=13490	
1.10.12	11190+400+1900=13490	11610+410+1800=13820
1.1.13	11590+410+1900=13900	12020+420+1800=14240

परन्तु उपरोक्त कर्मचारी को माह 1.10.12 से गलत निर्धारण के फलस्वरूप ₹3387.00 की राशि का अनुचित भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट (xiv) में दिया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली की जाना सुनिश्चित की जाए।

14 दिनांक 1.1.2006 से वेतन संशोधित होने के फलस्वरूप गलत ग्रेड वेतन प्रदान करने के कारण ₹195160/– का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन अनुभाग) की अधिसूचना संख्या फिन (पी आर) बी (7)–1/2009 दिनांक 26.8.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत निम्नानुसार कर्मचारियों को गलत ग्रेड वेतन प्रदान करने के कारण अवधि 1.1.06 से ₹196160/– का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अभिलेखों की पुनः अवलोकन/जांच करते हुये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। विस्तृत विवरण परिशिष्ट xv क, ख पर दिया गया है।

(क) श्रीमती सुनिता कुमारी लिपिक अवधि 31.12.2005 को पूर्ण संशोधित वेतनमान व वेतन 3120–100–3220–110–3660–120–4260–140–4400–150–5000–160–5160–4020

Applicable Pay band-PB-2

Fitment Table-4

माह	देय वेतन **Due**	आहरित वेतन **Drawn**
1.1.06	7480+290=7770+1900=9670	7480+300=7780+2400=10180
1.1.06 ACP	7770+300=8070+1950=10020	7780+310=8090+2400=10490
1.1.07	8070+300=8370+1950=10320	8090+320=8410+2400=10810
1.1.08	8370+310=8680+1950=10630	8410+330=8740+2400=11140
1.1.09	8680+320=9000+1950=10950	8740+340=9080+2400=11480
1.1.10	9000+330=9330+1950=11280	9080+350=9430+2400=11830
1.1.11	9330+340=9670+1950=11620	9430+360=9790+2400=12190
1.1.12	9670+350=10020+1950=11970	9790+370=10160+2400=12560

उपरोक्त वर्णनानुसार कर्मचारी को अधिक ग्रेड वेतन प्रदान करने पर अवधि 1.1.06 से 31.3.2012 तक ₹49650.00 अधिक भुगतान किया गया है।

(ख) श्री ओम प्रकाश लिपिक अवधि 31.12.2005 के पूर्व संशोधित वेतनमान का वेतन 3120–100–3220–110–3660–120–4260–140–4400–150–5000–160–5800–200–6200 वेतन 5000

Applicable Fitment Table -5

माह	देय वेतन **Due**	आहरित वेतन **Drawn**
1.1.06	BP+incre=Total+GP	
	9300+300=9300+1950=11250	900=9300+2400=11700
1.9.06	9300+340=9640+1950=17590	9300+360=9660+2400=12060
1.9.07	9640+350=9990+1950=11940	9660+370=10030+2400=12430
1.9.08	9990+360=10350+1950=12300	10030+380=10410+2400=12810
ACP 1.9.08	10350+370=10700+1950=12670	10410+390=10800+2400=13200
1.9.09	10720+380=11100+1950=3050	10800+400=11200+2400=13600
1.9.10	11100+400=11500+1950=13450	11200+410=11610+2400=14010
1.9.11	11500+410=11910+1950=13860	11610+420=1203042400=14430

उपरोक्त वर्णनानुसार कर्मचारी को अधिक ग्रेड वेतन प्रदान करने पर अवधि 1.1.06 से 31.3.2012 तक ₹49041.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

(ग) श्री महेश कुमार लिपिकः–

अवधि 31.12.2005 को पूर्व संशोधित वेतनमान वेतन 3120–6200–5160

Applicable Fitment Table -5

माह	देय वेतन **Due**	आहरित वेतन **Drawn**
1.1.06	BP+incre +GP=Total 9600=9600+1950=11550	9600=9600+2400=12000
1.2.06	9600+350=9950+1950=11900	9600+360=9960+2400=12360
ACP 1.2.06	9950+360=10310+1950=12260	9960+380=10340+2400=12740
1.2.07	10310+370=10680+1950=12630	10340+390=10730+2400=13130
1.2.08	10680+380=11060+1950=13010	10730+400=11130+2400=13530
1.2.09	11060+390=11450+1950=13400	11130+410=11540+2400=13940
1.2.10	11450+410=11860+1950=13810	11540+420=11960+2400=14360
1.2.11	11860+420=12280+1950=14230	11960+430=12390+2400=14790
1.2.12	12280+430=12710+1950=14660	12390+450=12840+2400=15240

उपरोक्त वर्णनानुसार कर्मचारी को अधिक ग्रेड वेतन प्रदान करने पर अवधि 1.1.06 से 31.3.2012 तक ₹49796.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

(घ) श्री हेम चन्द गुलेरिया लिपिकः–

अवधि 31.12.2005 को पूर्व संशोधित वेतनमान वेतन 3120–6200

PB-2

Applicable Fitment Table -5

माह	देय वेतन	आहरित वेतन
1.1.06	9600+350=9950+1950=11900	9600+360=9960+2400=12360
IInd ACP 1.2.06	9950+360=10310+1950=12260	9960=380=10340+2400=12740
1.1.07	10310+370=10680+1950=12630	10340+390=10730+2400=13130
1.1.08	10680+380=11060+1950=13010	10730+400=11130+2400=13530
1.1.09	11060+390=11450+1950=13400	11130+410=11540+2400=13940
1.1.10	11450+410=11860+1950=13810	11540+420=11960+2400=14360
1.1.11	11860+420=12280+1950=14210	11960+430=12390+2400=14790
1.1.12	12280+430=12710+1950=14660	12390+450=12840+2400=15240

उपरोक्त वर्णनानुसार कर्मचारी को अधिक ग्रेड वेतन प्रदान करने पर अवधि 1.1.06 से 31.3.2012 तक ₹49763.00 (उन्चास हजार सात सौ त्रैसठ रूपये मात्र) की राशि का अधिक भुगतान किया गया है।

15 <u>वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण ₹4599/– का अधिक भुगतानः–</u>

विशेष सचिव वित्त (वित्त पी0आर0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (पी0आर0) बी(7)–1/2009–लूज–दिनांक 10.9.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित वेतनमानों में वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना करते समय दशमलव की राशि को मध्यनजर न रखते हुए अगर राशि एक रूपये या अधिक आती है तो कुल देय राशि अगली कुल के गुणांक में देय होगी। इसके विपरीत नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार कर्मचारियों को ₹4599/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट XVI में दिया गया है जिसकी पुनः जांच करते हुये स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(1) श्री अमर सिंह चौकीदार–3826

(2) श्रीमती शीतला सफाई कर्मचारी–773

अन्य कर्मचारियों को यदि इस प्रकार का अनियमित भुगतान किया गया है तो संस्था स्त्तर पर ऐसे मामलों की जॉच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 पैन्शनरों को ₹5632/– का अनियमित भुगतान के फलस्वरूपः–

परिषद द्वारा अपने पैन्शन भोगियों को पैन्शन का गलत निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान किया गया है तथा कुछ अवधि पश्चात गलत निर्धारित की गई पैन्शन का शुद्धिकरण कर दिया गया है परन्तु निम्नविवरणानुसार ₹5632/– अधिक भुगतान की गई पैन्शन की वसूली नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	देय पैन्शन व डी0ए0	भुगतान की गई पैन्शन	अधिक भुगतान प्रतिमाह	अधिक भुगतान की अवधि व राशि
1	श्री नागन चन्द लिपिक	3771	3816	57	1/10 से 4/10
		1018	1030		57X4=228
		4789	4846		
2	श्री कन्हईया लाल	10180	10485	387	1/10 से 7/10
	कनिष्ठ सहायक	2749	2831		7X387=2709
		12929	13316		
3	श्री गौरी शंकर	4985	5095	140	1/10 से 11/10
		1346	1376		140X11=1540
		6331	6471		
4	श्रीमती नीकी देवी	4985	5090	105	1/10 से 11/10
		–	–		105X11=1155
				जोड़	**5632**

17 सी0पी0एफ0 अग्रिम ₹20,000/– की वसूली न करनाः–

श्रीमती मंथरा देवी बेलदार को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी के कार्यालय पत्र संख्या एम0सी0/एम0एन0डी0(पी)/फन्ड/2009–10/1805/07 दिनांक 15.7.2011 द्वारा उनके सी0पी0एफ0 से ₹20000.00 की राशि का अग्रिम स्वीकृत व भुगतान किया गया है जिसकी वसूली ₹1000.00 प्रतिमाह की दर से माह सितम्बर 2011 से की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त अग्रिम राशि की वसूली अंकेक्षण समापन तक नहीं की गई। उक्त अग्रिम राशि की नियमानुसार वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि की वसूली अभिलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 अंशदायी प्रोवीडेन्ट फन्ड में ₹4228.00 का अनियमित भुगतानः–

श्री पप्पी सफाई कर्मचारी को माह 8 व 9/2011 के दौरान बिना वेतन पर (without pay) रहने के कारण किसी प्रकार के वेतन व भतों का भुगतान नहीं किया गया परन्तु उक्त कर्मचारी को उपरोक्त अवधि में अनियमित तरीके से पालिका निधि से कर्मचारी से सी0पी0एफ0 में मूल वेतन व डी0ए0 की राशि का दस प्रतिशत तथा कमेटी का निम्नानुसार अंशदान का भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि वसूल करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	मूल वेतन व डी0ए0	कर्मचारी का अपना अंशदान	परिषद का अंशदान	राशि
8/2011	बैन्ड पे–5700 ग्रेड पे–1300 डी0ए0–3570 10570 का 10%	1057	1057	2114
9/2011	–यथोपरि–	1057	1057	2114
वा0सं0 19 माह 10/11			**कुल राशि**	**₹4228**

19 **(i) बिजली के सामान की खरीद पर एम0आर0पी0 (maximum retail price) से अधिक की दरों पर भुगतान करने पर ₹33200.00 का अधिक भुगतानः–**

नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णनानुसार बिजली के सामान की खरीद की गईः–

बिल नं0	दिनांक	राशि
19448	10.6.2011	277855
19474	14.6.2011	73970

परिषद द्वारा उपरोक्त सामान आपूर्ति आदेश संख्या 13 एम0सी0एन0डी/2011–1028–31 दिनांक 1.6.2011 के तहत मैसर्ज मल्होत्रा एण्ड कम्पनी मण्डी से खरीदा गया। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपूर्ति आदेश द्वारा बिजली का विभिन्न सामान cromption/PHILIPS/BAJAJ/USRAM मेक का मंगवाया गया था परन्तु बिलों तथा स्टॉक रजिस्टर में कहीं भी यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता कि खरीदा गया बिजली का सामान किस स्पेसीफिकेशन मेक का है। बिलों में संलग्न कार्यालय नोट में उल्लेखित टिप्पणी के अनुसार सप्लायर द्वारा सारा सामान USRAM मेक का भेजा गया हैं नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार OSRAM मेक के सामान में दो मदों पर एम0आर0पी0 से अधिक दरों पर भुगतान करके कुल ₹33200/– का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

खरीद की मद का विवरण	एम0आर0पी0 की दर	भुगतान की दर	अन्तर	खरीद की मद की मात्रा	अधिक भुगतान की राशि
Son open construction heavy duty vpit copper ballast for SVL 250 Watt son Lamp	1280	1735	455	40	18200
S/0 open construction heavy duty vpit metal hilied vapour Lamp 400w son Lamp	1900	2500	600	25	15000
		कुल अधिक भुगतान की राशि			**₹33200**

(ii) नगर परिषद मण्डी द्वारा विभिन्न बिजली/स्ट्रीट लाईट का सामान खरीदने हेतु विभिन्न मेक के सामान जैसे कि (ROMPTON/Philps/Bajaj/usram) इत्यादि की आपूर्ति हेतु टैन्डर किये जाते है तथा नगर पालिका द्वारा न्यूनतम दरों पर टैण्डर स्वीकृत किये जाते है परन्तु आमन्त्रित टैन्डरों व स्वीकृत टैण्डर में यह स्पष्ट उल्लेख नही किया जाता कि आपूर्तिकर्ता जिसके पक्ष में न्यूनतम टैण्न्डर स्वीकृत किये जाते है इनमें ROMPTON/Philps/Bajaj/usram में से किस के सामान हेतु न्यूनतम टैण्डर स्वीकृत किये गये है न ही आपूर्ति आदेशों में की किस मेक का सामान आपूर्तिकर्ता आपूर्ति करेगा तथा सम्बन्धित बिलों तथा स्टॉक रजिस्टर में सफेसीफिक मेक का उल्लेख नहीं किया जाता जो जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकती की फर्म द्वारा किस मेक के सामान की आपूर्ति की गई है। एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि ROMPTON/Philps/Bajaj/usram के किसी एक प्रकार के उत्पाद में भी दरों में आपस में अन्तर होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि टैण्डरों में किसी एक प्रकार के मेक के बिजली के सामान की न्यूनतम दरें, बिलों में खरीदे गये स्पेसीफिकेशन मेक (Specification make) के सामान का उल्लेख तथा उसके अनुरूप उसका स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज व खरीदे गए सामान के बिलों को म्यूनीसिपल इन्जीनियर से नियमानुसार सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) स्ट्रीट लाईट बिजली बिलों की ₹8.92 करोड़ बकाया राशि के भुगतान हेतु शेषः–

नगर परिषद मण्डी को अवधि 31.3.2013 तक हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को स्ट्रीट लाईट बिजली के खपत के बिलो की ₹892776/– (₹ आठ करोड़ बानवे लाख सात हजार सात सौ छहत्तर) की बकाया राशि सरचार्ज सहित भुगतान हेतु शेष है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तार से दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि बकाया बिजली के बिलों का प्राथमिकता के तौर पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि भविष्य में किसी प्रकार के अधिभार से बचा जा सके।

20 चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रों का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में भुगतान किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रों का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रों का

अदेय/अनियमित भुगतान किया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) निदेशक स्वास्थ्य सेवायें हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय आदेश संख्या एच0एफ0डब्लयू–एच(11)(7)5/95 दिनांक 18.3.2009 के अनुरूप दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों/उनके आश्रितों को आंख के ऑप्रेशन के दौरान इन्तरा आकुलर लैन्स लगाये व उसकी इलाज सहित ₹6500.00 की राशि अथवा वास्तविक व्यय (Actual cost) जो कम होगी की राशि की प्रतिपूर्ति देय होगी। इसके विपरीत श्री देव राज सफाई कर्मचारी को वास्तविक व्यय ₹5250.00 के स्थान पर ₹6500 की राशि का वाऊचर संख्या 59 माह 10/11 द्वारा भुगतान करके ₹1250.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाई जाए।

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में विनिर्दिष्टित आदेशों के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा इलाज पूर्ण होने के पश्चात तीन महीनों की अवधि के भीतर भुगतान हेतु दावा पेश किया जाना अपेक्षित है परन्तु श्री ललित कटोच कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पुत्र अरपित कटोच का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा जो इलाज होने के पश्चात अवधि 3.4.12 तक प्रतिपूर्ति हेतु पेश किया जाना था। समय पर दावा पेश न करने तथा (time barred) होने पर माह 10/11 में ₹270.48 (दो सौ सत्तर रूपये) की राशि का भुगतान नियमित रूप से किया गया जो देय नहीं था। जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये अनियमित भुगतान की वसूली की जानी सनिश्चित की जाए।

21 (i) ₹8033800.00 की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आईपी0एच0 मण्डल मंडी से प्राप्त न करनाः–

नगर परिषद मण्डी में 100 प्रतिशत सीवरेज सिस्टम की सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional chief secratary) यू0डी0 के कार्यालय पत्र संख्या यू0डी0–C(7)–1/2008 दिनांक 12/2009 द्वारा ₹8033800.00 अनुदान की राशि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी की स्वीकृत की गई कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी द्वारा यह राशि आई0डी0बी0आई0 बैंक बचत खाता संख्या 730104000001281 में जमा की गई व

कुछ समय पश्चात यह राशि उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु निम्नानुसार अभियन्ता आई0पी0एच0 मण्डल के कार्यालय में जमा की गई है।

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	जमा की गई राशि
1	000653	27.4.2010	4000000
2	000654	10.5.2010	4033800

उपरोक्त राशि को आई0पी0एच0 कार्यालय मण्डी में जमा करवाने के पश्चात लगभग तीन वर्षों तक के पश्चात भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गए और न ही राशि के उपयोग से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त राशि निष्क्रिय रूप से आई0पी0एच0 कार्यालय में जमा है तथा जनता को प्रस्तावित सुविधा से वंचित रखा जाए। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ii) अनुदान राशि ₹20000000/– (दो करोड़) का अनयमित भुगतानः–

नगर पालिका मण्डी द्वारा नियमों के विपरीत स्वीकृत अनुदान (Grants) की राशियों में से निम्न ₹20000000/– (दो करोड़ रूपये) स्ट्रीट लाईट के बिजली के बिलों की बकाया राशि का भुगतान बिजली विभाग को विस्तृत विवरण परिशिष्ट (XX) में वर्णित है।

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	077436	3.9.2012	10000000
2	077501	18.12.12	7269117
3	379452	30.1.13	1000000
4	8109895	30.1.13	500000
5	00655	30.1.13	500000
6	025202	30.1.13	500000
7	672375	30.1.13	230883
	कुल भुगतान की राशि		**20000000**

उपरोक्त अनुदान की राशियां मूलतः अन्य विकासात्मक कार्य हेतु स्वीकृत की गई है अनाधिकृत रूप से इसे स्ट्रीट लाईट के बिलो ंकी बकाया राशि हेतु व्यय किया गया यह

गम्भीर अनियमिता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तौर से व्यय की राशि को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

22 **(क) कार्य का नामः–** P/Wall to road & channehation of Nallah& C/O Road at Dumping site Mandi

अनुबन्ध संख्याः– 4880–85 दिनांक 15.7.08

प्रशासनिक स्वीकृतिः– ₹11 लाख

संविदाकार का नामः–हेम राज

वाऊचर संख्याः– 56 माह 5/10

माप पुस्तिका संख्याः–76 पेज संख्या 89

उपरोक्त कार्य मात्र छः मदों का प्राकलन ₹11.29 लाख का तैयार कर कार्यकारी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लो0नि0 विभाग सुन्दरनगर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके निष्पादित किया गया। टैण्डर में 2 अतिरिक्त मदें जो स्टील चैन फैन्सिग की डालकर नेगोशियेशन के बाद यह कार्य मात्र ₹7 लाख तक का अवार्ड (Award) किया गया। छठे चलत बिल तक वाऊचर संख्या 56 माह 5/10 के अन्तर्गत कुल ₹1191998.00 का कार्य निष्पादित किया गया है।

उक्त निर्माण कार्य के चलत बिलों की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई हैः–

(1) पी0डब्लयूडी0 मानको के अन्तर्गत तथा एग्रीमैन्ट के clause 42 (ii) में विनिर्दिष्टत दिशा–निर्देशों के अनुरूप 5 लाख के उपर टैन्डर निर्माण कार्यों में सीमेन्ट की खपत थएरेटिकल (theoretical) खपत पर 3 प्रतिशत प्लस व माईनस वेरीयेशन (variation) तक मान्य है तथा इसके अतिरिक्त सीमेन्ट की खपत करने पर अधिक सीमेन्ट की खपत की वसूली पैन्ल दरों (Penalrate) पर की जानी अपेक्षित है। इस निर्माण कार्यों में सीमेन्ट की खपत विवरणिका जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट XVII में दिया गया है कुल 1168.86 सीमेन्ट बैग जो 3 प्रतिशत व वेरीयेशन के साथ कुल सीमेन्ट की 1204 बैग की खपत ही मान्य है जबकि संस्था द्वारा कुल 1250 बैंक की खपत दर्शाकर 46 सीमेन्ट बैंग की अधिक खपत दर्शाई गई जो

उपरोक्त दिशा निर्देशों के विपरीत है। संस्था द्वारा छठे चलत बिल तक केवल 1150 सीमेन्ट बैग की ₹180.00 की दर पर वसूली की है तथा शेष सीमेन्ट बैग 100 में से 46 सीमेन्ट बैग की वसूली पैनल दर पर अर्थात 46X360=16560 तथा 54 सीमेन्ट बैग की वसूली 180 की दर पर अर्थात 180X54=9720 तथा कुल वसूली 16560+9720=26280 की वसूली की जानी अपेक्षित है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त कार्य संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या 4880–85 दिनांक 15.7.08 द्वारा जारी किया गया तथा शर्तों के मुताबिक कार्य तीन महीनें की अवधि के अन्तर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि तक कार्य का छठा चलत बिल तक निस्तारण किया गया था तथा अन्तिम बिल तैयार नही किया गया था और न ही समय बढ़ौतरी हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध किया गया। आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु सम्बन्धित अभिलेख दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमों में विनिर्दिष्टत निर्देशों के अनुरूप समय पर कार्य का निष्पादन न करने पर निर्धारित पैनलटी की वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

(iii) उपरोक्त कार्य केवल 7 लाख तक अवार्ड किया गया जबकि कुल राशि छठे बिल तक कुल ₹1191998.00 तक निष्पादित किया गया है अर्थात 70 प्रतिशत से अधिक विचलन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित करें।

(iv) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति केवल ₹11 लाख की प्रदान की गई है तथा निर्माण कार्य ₹1191998.00 का निष्पादित किया गया है। अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए।

(ख) ₹12306.00 का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– वार्ड नं0 2 पुरानी मण्डी में रास्ते का निर्माण कार्य

अवार्ड पत्र संख्याः– 1011–16 दिनांक 24.2.2010

वाऊचर संख्याः– 28 माह 10/11

एम0बी0 व पेज नं0:– 92 पेज 8

उपरोक्त निर्माण कार्य के बिल की जांच के दौरान पाया गया कि संविदाकार गलत गणना के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ₹12306.00 का एमबी0 संख्या 92 की पेज संख्या

08 में अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	मद का विवरण	भुगतान हेतु पारित मात्रा	भुगतान की गई मात्रा	अधिक भुगतान की मात्रा	दर	अधिक भुगतान की राशि
1	R/R masonary polygonal rubble masonary with hard stone of approved quality in foundation & plinth 1/C cement C.C. 1:6:12 20 nominal size	35.13 Cum	40.99cum	5.86cum	2100 per Cum	₹12306

(ग) स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट बैग की गलत गणना के कारण ₹9126.00 की वित्तीय हानिः—

अंकेक्षण के दौरान सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार स्टॉक रजिस्टर से विभिन्न कार्यों हेतु सीमेन्ट जारी किया गया है परन्तु वास्तव में जारी किये गये सीमेन्ट बैग को घटाने के पश्चात स्टॉक में कम सीमेन्ट बैग दर्शाने के फलस्वरूप परिषद को ₹9126.00 की वित्तीय हानि हुई है।

क्र0सं0	सीमेन्ट स्टॉक पेज सं0	दिनांक	कुल सीमेन्ट बैग	जारी किये गये सीमेन्ट बैग व कार्य का नाम	शुद्ध शेष	नगर परिषद द्वारा दर्शाया गया शेष	दर्शाये गये सीमेन्ट बैग की सं0
1	32	9.5.12	164	25 बैग श्री भीम देव ठेकेदार वार्ड नं0 II में मन्दिर के	139	125	14

				विकास का कार्य			
2	33	10.5.12	565	100 बैग श्री रीतेश कुमार ठेकेदार वार्ड नं0 10 में रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	465	440	25

उपरोक्त क्रमानुसार स्टॉक में शेष 39 बैग सीमेन्ट थे परिषद द्वारा दिनांक 27.5.2012 को सीमेन्ट बैग का शेष दर्शाया गया है जिसे सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 35 पर सहायक अभियन्ता द्वारा भी सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया गया है। अतः कम दर्शाये गये 39 सीमेन्ट बैग का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा जारी दर ₹234 प्रति बैग की दर से 39X234=₹9126 की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) संविदाकार से ₹10008/– की वसूली न करनाः–'

वाऊचर संख्याः–57 माह 5/10

ठेकेदार का नामः– श्री मुनीष द्विवेदी

कार्य का नामः–वार्ड नं0 10 में रास्ते की चौड़ाई का निर्माण कार्य

प्रथम चलत बिलः– राशि 226712

अवार्ड पंत्र संख्याः– 1532–37 दिनांक 19.3.2010

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल में एम0बी0 पेज संख्या 86 की जांच करने पर पाया गया कि प्रथम चलत बिल तक निम्नानुसार कुल 148 सीमेन्ट बैग की खपत की गई है।

(i) P/L 1:6:12 40mm

Nominal size-4.27cumx2.20=9.39

(ii) R/Rameyonarey with hand stone 1:6:12   66.69cumx1.65cum 110.039

(iii) P/L 50mm thick cement tiles 95.51sqmx3.03bags 28.93

कुल खपत 148 बैग

जबकि नगर परिषद द्वारा संविदाकार से केवल 100 बैग की वसूली ₹190.00 प्रति सीमेन्ट बैग की दर से की गई अतः 48 बैग सीमेन्ट की वसूली ₹190X48=9120 की वसूली की वसूली की जानी शेष है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा वर्ष 2009–10 में सीमेन्ट की वसूली हेतु जारी दर (issue rate) ₹196.00 प्रति बैग निर्धारित की गई जबकि ठेकेदार से ₹190 प्रति बैग की दर से वसूली की गई अर्थात ₹6.00 प्रति बैग 148X6=₹888 की कम वसूली की गई है जिसकी वसूली अब सुनिश्चित की जाए।

(ङ) सफाई ठेकेदार को ₹3600.00 का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री भगत राम सुपुत्र श्री चमारू राम गांव व डाकखाना सदयाणा जिला मण्डी को वार्ड नं0 9 के यूनिट नं0 2 में सफाई का कार्य करवाने हेतु वर्ष 2011–12 में स्वीकृत दर ₹17300.00 प्रति माह के स्थान पर ₹17600.00 प्रतिमाह अनियमित रूप से किया गया परिणामस्वरूप 12 महीनों में कुल ₹3600.00 की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

23 विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के बिना 4–9–14 के अन्तर्गत नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना में वेतनवृद्धि व उच्च ग्रेड वेतन का अनियमित लाभ प्रदान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन विभाग) के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) (बी) (7)–59/2010 दिनांक 9.8.2012 के पैरा 4 बी में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप 4–9–14 का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर कर्मचारियों के पक्ष में अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उचच ग्रेड पे देय है। नगर परिषद मण्डी के कर्मचारियों को 4–9–14 का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे लाभ दिया गया है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XVIII में दिया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश व सम्बन्धित कार्यालय

आदेश अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये जिससे 4—9—14 के अन्तर्गत प्रदान किये वित्तीय लाभों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित आदेश आगामी अंकेक्षण में दर्शाये जाने सुनिश्चित करें।

24 नगर परिषद मण्डी द्वारा अवधि 4/2010 से 3/2013 तक वाहन पार्किंग स्थलों की नीलामी न करने बारेः—

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 के दौरान विभिन्न वाहन पार्किंग स्थलों की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा अवधि 4/2010 से 3/2013 तक किसी भी पार्किग स्थल की नीलामी नहीं की गई जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिशिष्ट (xix) में दिया गया है। परिषद द्वारा वाहन पार्किंग स्थलों की नीलामी न करने से परिषद की आय में कमी हुई, इसका औचित्य स्पष्ट करें।

25 परिषद निधि से ₹247500/—का अनियमित व्ययः—

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹247500.00 का भुगतान विभिन्न संगठनों को सहायता स्वरूप परिषद निधि से किया गया है जो परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं है। परिषद द्वारा भुगतान राशि की परिषद निधि से भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट करें व अनियमित रूप से किए व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	वा0सं0	चैक नं0	राशि (₹)
1	31.8.2010	सनातन धर्म सभा समिति मण्डी	65	177709	5500
2	21.9.2010	दशहरा उत्सव (रावण निर्माण हेतु)	72	177750	20000

3	21.9.2010	प्रधान गणपति उत्सव समिति	63	177741	5500
4	28.10.2010	दशहरा उत्सव	74	211203	23000
5	26.5.2011	प्रधान माता भीमा काली (भ्यूली मेला)	52	311841	30000
6	8.9.2011	दशहरा उत्सव (रावण निर्माण हेतु)	38	385168	25000
7	2.11.2011	दशहरा उत्सव (बिटटा फलावर)	28	385257	38500
8	28.1.2012	जिला रैड क्रास सोसाईटी मण्डी	83	888578	5000
9	27.3.2012	नव ज्योति कला मंच	75	021367	5000
10	12.10.2012	दशहरा उत्सव (रावण निर्माण हेतु)	40	263215	50000
11	15.11.2012	दशहरा उत्सव (बिटटा फलावर)	53	380835 380836	40000
				कुल राशि	**₹247500**

(क) ₹337508/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹337500.00 का भुगतान विभिन्न विभागों, एजैन्सियों को विभिन्न कार्यों हेतु किया गया परन्तु इन राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये इसका कारण स्पष्ट करें तथा आगामी अंकेक्षण में इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	वा0सं0	विभाग/एजैन्सी का नाम	राशि (₹)
1	25.8.2010	63	मण्डी साक्षरता एवं जन विकास समिति	291500
2	31.8.2010	65	सनातन धर्म सभा समिति मण्डी	5500

3	21.9.2010	63	प्रधान गणपति मन्दिर न्यास मण्डी	5500
4	26.5.2011	52	प्रधान माता भीमा काली म्यूली मेला मण्डी	30000
5	27.3.2012	75	प्रधान नव ज्योति कला मंच	5000
			योग कुल राशि	**₹337500**

26 वाहनः—

औसत तेल खपत का निर्धारण न करनाः—

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया, जबकि नियमों के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निर्धारित की जानी अपेक्षित है तथा इस निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक जो भी पहले हो, तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारण न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अगर किसी वाहन का निर्धारित औसत खपत से कम खपत पाई जाये तो इसकी विभागीय गणना करके उचित स्त्रोत से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जायें।

(क) औसत तेल खपत में भिन्नताः—

अवधि 4/2010 से 3/2013 तक परिषद के विभिन्न वाहनों की लॉग बुक (Log book) की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में औसत तेल खपत में भिन्नता पाई गई तथा वाहनों की लॉग बुकों में प्रत्येक माह के अन्त में औसत तेल खपत विवरणी दर्शाई गई यह अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कम औसत खपत की विभागीय स्त्तर पर गणना करके अपेक्षित वसूली उच्च स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष 2011–12

क्र0सं0	गाड़ी सं0	माह	प्रति 1 लीटर कि0मी0	माह	प्रति 1 लीटर कि0मी0	माह / वर्ष	प्रति 1 लीटर कि0मी0
1	एच0पी0–33 बी–0375	4 / 2010	3.50कि0मी0	4 / 2011	3.25 कि0मी0	4 / 2012	3.45 कि0मी0
		5 / 2010	3.45 कि0मी0	5 / 2011	3.55 कि0मी0	6 / 2012	3.55 कि0मी0
		6 / 2010	3.50 कि0मी0	11 / 2011	3.40 कि0मी0		
		8 / 2010	3.45 कि0मी0	12 / 2011	3.55 कि0मी0	1 / 2013	3.45 कि0मी0
		9 / 2010	3.55 कि0मी0	2 / 2012	3.40 कि0मी0	3 / 2013	3.55 कि0मी0
		12 / 2010	3.45 कि0मी0	3 / 2012	3.50 कि0मी0		
2	एच0पी0–33 –3988	वर्ष 2010–11 में लॉग बुक में गाड़ी की औसत (Average) औसत तेल दर्शाई नहीं गई		7 / 2011 12 / 2011	4.05 कि0मी0 4कि0मी0	4 / 12 गाड़ी 311606 रीडिंग कि0मी0 पर खडी कर दी गई	
3	एच0पी0–33 –0507	4 / 2010	3.05 कि0मी0	4 / 2011	3.25 कि0मी0	4 / 2012	2.95 0मी0
		6 / 2010	2.90 कि0मी0	9 / 2011	3.05 कि0मी0	7 / 2012	3.10 कि0मी0
		7 / 2010	2.87 कि0मी0	2 / 2012	2.95 कि0मी0	8 / 2012	2.91 कि0मी0
		9 / 2010	3.30 कि0मी0			9 / 2012	3.05 कि0मी0
		10 / 2010	3 कि0मी0				
		1 / 2011	2.90 कि0मी0				
4	एच0पी0–33 बी–0371	4 / 2010	15.5 कि0मी0	4 / 2011	15 कि0मी0	4 / 2012	15 कि0मी0
		7 / 2010	14.5 कि0मी0	3 / 2011	15 कि0मी0	3 / 2013	15 कि0मी0
5	एच0पी0–33 बी–0372	4 / 2010	15.10 कि0मी0	4 / 2011	15 कि0मी0	4 / 2012	15कि0मी0

6	एच0पी0–33 बी–5258	वर्ष 2010–11 में लॉग बुक में औसत (Average) तेल खपत दर्शाई नहीं गई		6/2011	15 कि0मी0	7/2012	15कि0मी0
7	एच0पी0–33 बी–3806	–यथोपरि–		7/2011	5कि0मी0	5/2012	5कि0मी0
8	एच0पी0–33 डी–0150	4/2010	4.95 कि0मी0	4/2011	5कि0मी0	11/12	5कि0मी0
		5/2010	5कि0मी0				
		9/2010	5.55 कि0मी0	10/2011	4.50 कि0म0ी		
		3/2011	4.50कि0मी0	12/2011	5कि0मी0	1/2013	5.10कि0मी0
				2/2012	4.50 कि0मी0		
9	एच0पी0–33 डी–0149	वर्ष 2010–11 में लॉग बुक में औसत तेल खपत दर्शाई नहीं गई		6/2011	5.05 कि0मी0	4/2012	5.09 कि0मी0
				12/2011	5 कि0मी0	8/2012	5.20 कि0मी0
				2/2012	4.90 कि0मी0		
10	एच0पी0–33 –4708	4/2010 5/2010 6/2010	4.05कि0मी0 3.95कि0मी0 4.02कि0मी0	6/2011 3/2012	4कि0मी0 4कि0मी0	5/2012 12/2012	4कि0मी0 4.05कि0मी0
11	एच0पी0–29 –2777	1/2011	8कि0मी0	4/2011	7.75कि0मी0	4/2012	8.50कि0मी0
				6/2011	8कि0मी0	6/2012	9कि0मी0
				10/2011	8.10कि0मी0	8/2012 3/2013	10कि0मी0
12	एच0पी0–65 डी–1669 (लोडर)	वर्ष 2010–11 में लॉग बुक में औसत तेल खपत दर्शाई नहीं हुई		5/2011	7.5 (1) लीटर प्रति घंटा	9/2012	7.30 प्रति लीटर

				6/2011	7.50 प्रति घंटा	10/2012	7.10 प्रति लीटर
				7/2011	7.40 प्रति घंटा	11/2012	7.90 प्रति 1 लीटर
				11/2011	7.50 प्रति घंटा	12/2010 3/2013	7.10 प्रति 1 लीटर प्रति घंटा 7.50 प्रति 1 लीटर प्रति घंटा

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना वाहन को परिषद सीमा से बाहर उपयोग या ले जाने बारेः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान वाहन संख्या एच0पी0–30–2100 की लॉग बुक (Log book) की जांच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (XX) में दिया गया है गाड़ी का प्रयोग परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर करने का औचित्य स्पष्ट करें, तथा परिशिष्ट में वर्णित की गई यात्रा को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अन्यथा यात्राओं को निजी यात्रा मानते हुये अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से इस विभाग को भुगतान करवाया जाये।

(ग) विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों (Log books) में पाई गई त्रुटियों बारेः–

विभिन्न वाहनों की अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की लॉग बुक की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि वाहनों की लॉग बुक भरते समय, समय प्रति घण्टे किलोमीटर उचित प्रकार से दर्ज नहीं किये जाते है। जिस कारण वाहनों की माईलेज (औसत) तेल खपत की गणना की जांच नियमानुसार नहीं की जा सकी। वाहनों की लॉग बुकों में पाई गई त्रुटियों का

पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (XXI) में दिया गया है जिनका शुद्धकरण अभिलम्ब किया जाए व भविष्य में वाहनों की लॉग बुक में किलोमीटर, समय प्रति घण्टे तथा वाहन के परिषद सीमा से बाहर प्रयोग के आदेश पत्र सही ढ़ंग से इन्द्राज किये जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) अप्रयुक्त खड़ी गाडियों की नीलामी न करने बारेः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान नगर परिषद के विभिन्न गाड़ियों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद की अप्रयुक्त खड़ी गाड़ियों की नीलामी नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा कूड़ा उठाने हेतु ₹603776/– राशि से विभिन्न वाहनों की खरीद की लेकिन परिषद द्वारा इन गाड़ियों को पिछले 4–5 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व बेकार खड़े वाहनों की नीलामी हेतु उचित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाये।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**टाईप/श्रेणी**	**दिनांक जब वाहन खरीदा**	**वाहन मूल्य राशि**	**दिनांक जब से परिषद ने गाड़ी का उपयोग नहीं किया**
1	एच0पी0–33–4288	श्री व्हीलर	04/1998	53500	30.5.2007
2	एच0पी0–33–3988	सिंगल लिफ्टर स्वराज माजदा (टैंपू)	29.12.1997	438476	22.4.2012
3	एच0पी0–33–4818	थ्री–व्हीलर	11/1998	55900	22.4.2010
4	एच0पी0–33–5318	थ्री–व्हीलर	15.5.1999	55900	06.7.2008
			कुल राशि	**603776**	

27 नगर पालिका की रोकड़ वही के अनुरक्षण बारे (maintenance of cash book):–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद मण्डी द्वारा संस्था की रोकड़ वही माह 7/2012 के पश्चात न तो कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई और न ही रोकड़

वही का मिलान (reconcilations) विभिन्न बैकों के साथ किया गया जबकि एच0पी0एफ0आर0 बोड नं0 1 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप इस मूलभूत अभिलेख का अनुरक्षण प्रतिदिन प्राप्त जमा व भुगतानों को इन्द्राज के उपरान्त संस्थाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 735 दिनांक 2.6.13 द्वारा नगर पालिका के ध्यानार्थ लाया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी के कार्यालय पत्र संख्या 31 एम0सी0डी/आडिट/2003–4946–47 दिनांक 24.8.2013 के अनुरोध पर अंकेक्षण दल द्वारा संस्था की रोकड़ वही का अवधि 31.3.2013 तक समाधान करवाया गया है तथा भविष्य में इस मूलभूत अभिलेख का अनुरक्षण वित्तीय नियमों में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप दिन प्रतिदिन में प्राप्त राशियों के जमा व भुगतानों में सत्यापन करने के उपरान्त माह के अन्त में विभिन्न बैंकों में जमा राशियों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया करें।

(क) नगर परिषद द्वारा अवधि 4/2010 से 10/2010 तक आय की रसीदों की क्रम संख्या रोकड़ वही में दर्ज न करने बारेः–

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के दौरान रोकड़ वही की जांच पड़ताल करने पर पाया गया, कि अवधि 4/2010 से 10/2010 तक रोकड़ वही में दर्ज आय की रसीदों की (क्रम संख्या) दर्ज नहीं की गई जिसके अभाव के कारण रोकड़ वही में दर्ज आय की राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (XXII) में दिया गया है। रोकड़ वही में दर्ज आय की राशि से सम्बन्धित रसीदों की क्रम संख्या न लिखने या दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करें। भविष्य में रोकड़ वही का अनुरक्षण उचित प्रकार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

नगर परिषद मण्डी के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अभिलेख जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाये।

अभिलेख का नाम

(i) शासकीय डाक टिकटों का अभिलेख 4/2010 से 3/2013

(ii) डिस्पैच रजिस्टर 4/2010 से 3/2013

29 **<u>लधु आपत्ति विवरणिका</u> :—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

30 **<u>निष्कर्ष</u> :—** लेखों में उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— ULB-H(C)(15)-42/86-Vol-VII-1323-25-दिनांक, 24.02.2014 शिमला—171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002.
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेंजें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला—171003.

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट I पैरा 1 (ग) से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/93 तक :–

अवधि 3/93 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्तमान अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसे ढूंढकर अपेक्षित कार्यवाही कर इसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94 तक :–

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(च)	आंशिक अनिर्णीत
11	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 12(ग)(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(ग)(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 12(ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(छ)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(छ)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत

20	पैरा 12(झ)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(क)	आंशिक निर्णीत
22	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 16	आंशिक निर्णीत
28	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 19(4)	अनिर्णीत
30	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
31	पैरा 19(6)	अनिर्णीत
32	पैरा 19(7)	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/96 तक</u> :–

1	पैरा 5(क,ख,ग,ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 10	आंशिक निर्णीत
10	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 13	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 14(ख)(1)(2)(3)	आंशिक निर्णीत
13	पैरा 14(ग)	आंशिक निर्णीत

14	पैरा 15(1)(2)(5)(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(8)	अनिर्णीत
17	पैरा 15(9)(10)	अनिर्णीत
18	पैरा 15(1) से (5)	अनिर्णीत
19	पैरा 15(12)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(17)(18)(19)	अनिर्णीत
22	पैरा 16(4)(5)	अनिर्णीत
23	पैरा 18(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा 19(1)(2)(3)	अनिर्णीत
25	पैरा 19(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 21(क)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 22(1)(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 22(6)(7)	अनिर्णीत
30	पैरा 23	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2001 तक :–

1	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 16(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(1 से 5) (8 से 11) (14,15,17,20,21,22,24,25,27)	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत

9	पैरा 20(1)(2)(5)(6)(7)(8)	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 25	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002 तक :–

1	पैरा 5(1)(क)(ख)(ग)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा (7)(8)(9)	अनिर्णीत
3	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/02 से 3/07 तक :–

1	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(सी)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(सी)(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(5)	आंशिक समाप्त
14	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

17	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
21	पैरा 7(9)(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
23	पैरा 7(11)	अनिर्णीत
24	पैरा 7(12)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(13)	अनिर्णीत
26	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
27	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
28	पैरा 8(4)	अनिर्णीत

4/2007 से 3/2010 तक अनिर्णीत पैरों की स्थिति

नगर परिषद मण्डी द्वारा अवधि 4/07 से 31.3.2010 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन में की गई कार्यवाही का सम्बन्धित अभिलेखों की जांच उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः–

1	पैरा–4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹86000.00 की राशि नगर परिषद द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा द्वारा जारी बैक ड्राफ्ट संख्या 965454 दिनांक 4.4.11 के अन्तर्गत निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम पर जमा करवा दी गई है)
2	पैरा–5 (क)	अंशतः निर्णीत	(क्रम संख्या 1, 2, 3, 5 व 11 निर्णीत)
3	पैरा–5 (ख)	निर्णीत	
4	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

5	पैरा–7 (2) क, क्र0सं0 1 से 45, 46, 47 व 48 व ख	आंशिक निर्णीत	(₹1407774.00 संदिग्ध गबन की राशि में से ₹1156334.00 की राशि की वसूली व कटौती निम्नानुसार की गई है जिसका वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापन किया गया है)

जी0–8 संख्या व दिनांक	**राशि**
29 / 72 दिनांक 24.9.10	350000
31 / 72 दिनांक 28.9.10	100000
32 / 72 दिनांक 28.9.10	100000
33 / 72 दिनांक 1.10.2010	50000
34 / 72 दिनांक 6.10.2010	40000
देय वेतन से की गई कटौती की राशि	
माह 9 / 10	10000
संशोधित वेतनमान अवधि 1.1.06 से देय बकाया राशि से कटौती	10000
देय वेतन माह अक्तूबर 10	10000
माह नवम्बर 10	5000
माह दिसम्बर 10	3000
संशोधित वेतन में देय बकाया राशि से कटौती	10000
देय वेतन माह 1 / 11	3000
देय वेतन माह 2 / 11	3000
देय वेतन माह 3 / 11	3000

संशोधित वेतन में देय राशि से कटौती	6000
वेतन माह 4/11 से कटौती	3000
वेतन माह 5/11 से कटौती	3000
वेतन माह 6/11 से कटौती	3000
वेतन माह 7/11 से कटौती	3000
वेतन माह 8/11 से कटौती	3000
वेतन माह 9/11 से कटौती	3000
वेतन माह 10/11 से कटौती	3000
वेतन माह 11/11 से कटौती	10000
निदेशक शहरी विकास विभाग हि0प0 शिमला–2 के पत्र संख्या यू0डी0एच(बी) (14)–4/2010–12/45 दिनांक 27.6.2012 द्वारा निर्देशित ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमैन्ट से कटौती की राशि	230364 191970
वसूली की राशि	1156334
कुल वसूली योग्य राशि	1407774
शेष वसूली की राशि	251440
उपरोक्त प्रकरण सर्तकता विभाग मण्डी कार्यालय में छानबीन हेतु भी लम्बित है	

6	पैरा–7 (3)	निर्णीत	(पैरा की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.13 तक के पैरा संख्या 7 में पुनः प्रारूपित की गई है)
7	पैरा–7 (4)	निर्णीत	(पैरा की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.2013 तक के पैरा संख्या 9 में पुनः प्रारूपित की गई है)
8	पैरा–7 (5)	निर्णीत	(पैरा की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.2013 तक के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित की गई है)
9	पैरा–8	अंशतः निर्णीत	(रैहन बसेरा की द्वितीय धरातल के किराये की राशि ₹620678.00 रसीद/जी–8 संख्या 58783/588 दिनांक 2.4.13 के अन्तर्गत कर ली गई है तथा 897 ₹322 की वसूली हेतु कार्यवाही की जानी शेष है)
10	पैरा–9	अनिर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही की जानी शेष है)
11	पैरा–10	निर्णीत	(पैरा की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.2013 तक के पैरा संख्या 10 (ख) में पुनः प्रारूपित की गई है तथा 31.3.2013 तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को स्ट्रीट लाईट बिजली के बिलों की कुल ₹89207746.00 की राशि भुगतान की जानी शेष है)
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	अंशतः निर्णीत	(श्री हेम चन्द अधीखक (सेवा निवृत) को अधिक भुगतान की गई राशि/पैन्शन की कुल राशि ₹11220.00 में से ₹1000.00 प्रतिमाह की दर से जी–8 संख्या 62889/629 दिनांक 10.9.13 माह 9/13 से शुरू की गई है

14	पैरा–13	अंशतः निर्णीत	(श्रीमती उर्वशी वालिया कार्यकारी अधिकारी से टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल की अधिक भुगतान की वसूली रसीद संख्या जी–8 62876/29 दिनांक 6.9.2013 के अन्तर्गत ₹1178.00 प्राप्त करके वापिस परिषद निधि में जमा कर दिये गये है व क्रम संख्या 1 व 3 में ₹6083 व ₹900.00 की वसूली शेष है)
15	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत	
16	पैरा–14 (2) (I, ii व iii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–15	अनिर्णीत	
18	पैरा–16	अनिर्णीत	
19	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत	
20	पैरा–17 (ii)	अनिर्णीत	(मै0 समृद्धि इन्डस्ट्री उद्यमसिंह नगर उतरांचल से 16000 डस्टबिन ₹64 कुल ₹10.24 लाख में दिनांक 9.02.08 को माप पुस्तिका संख्या 58 पृष्ठ 25 व 26 में किये गये में से ₹14250.00 डस्टबिन विभिन्न बोडों को जारी किये गये है परन्तु जारी किये गये डस्टबिनों के वितरण सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित परिषद व सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है तथा शेष 1750 डस्टबिनों का वास्तविक सत्यापन सक्षम अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है)
21	पैरा–17 (iii)	अनिर्णीत	
22	पैरा–17 (iv)	अनिर्णीत	

23	पैरा–17 (v)	अनिर्णीत	
24	पैरा–17 (vi)	अनिर्णीत	
25	पैरा–18 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.13 के पैरा संख्या 22 में पुनः प्रारूपित की गई है)
26	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत	
27	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत	
28	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत	
29	पैरा–8 (5) 1, 2, 3	अनिर्णीत	
30	पैरा–19 (क) (1)	अनिर्णीत	
31	पैरा–19 (क) (2)	निर्णीत	(₹75 की राशि जी–8 संख्या 62898/629 दिनांक 11.9.2013 द्वारा जमा करवा दी गई है)
32	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा–19 (ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा–19 (घ) (i)	अनिर्णीत	
35	पैरा–19 (घ) (ii)	निर्णीत	(₹18 की वसूली जी–8 संख्या 62895/629 दिनांक 11.9.13 द्वारा जमा की गई है)
36	पैरा– पैरा–19 (घ) (iii)	निर्णीत	(₹22 जी–8 संख्या 44180/442 दिनांक 5.4. 2012 द्वारा जमा करवा दी गई है)
37	पैरा–19 (ण)	अनिर्णीत	
38	पैरा–19 (च)	अनिर्णीत	
39	पैरा–19 (छ)	अनिर्णीत	

40	पैरा–19 (ज) (1)	निर्णीत	(₹525.00 की वसूली रसीद संख्या 044179/442 दिनांक 5.4.13 के अन्तर्गत कर ली गई है)
41	पैरा–19 (ज) (2)	निर्णीत	(₹470.00 की वसूली जी–8 संख्या 62894/629 दिनांक 11.9.2013 द्वारा कर ली गई है)
42	पैरा–19 (ज) (3)	निर्णीत	(₹605 की वसूली रसीद/जी–8 संख्या 44176 दिनांक 3.4.12 द्वारा कर ली गई है)
43	पैरा–19 (ज) (4)	निर्णीत	(₹400 की वसूली जी–8 संख्या 44105/442 दिनांक 5.4.13 द्वारा कर ली गई है)
44	पैरा–19 (ज) (5)	निर्णीत	(₹400 की वसूली जी–8 संख्या 44178/442 दिनांक 3.4.12 द्वारा कर ली गई है)
45	पैरा–19 (ज) (6)	अनिर्णीत	
46	पैरा–19 (ज) (7)	अनिर्णीत	
47	पैरा–19 (ज) (8)	अनिर्णीत	
48	पैरा–19 (झ) (i)	अनिर्णीत	
49	पैरा–19 (झ) (ii)	अनिर्णीत	